न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात।

सेवा में,

समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण,

जनपद न्यायालय कानपुर देहात।

पत्रांकः-**418**/जिविसेप्रा-एन०एल०ए०/2023/ का० दे० दिनांकः 05.10.2023

विषयः- राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 09.12.2023 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक-3065/SLSA-127/2022 एन.एल.ए.(सरन) दिनांकितः-03.10.2023 के अनुक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक-09.12.2023 को उ०प्र० के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमे आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रमय लिखित अधिनियम के वाद, विद्युत एवं जल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद), राजस्व वाद, व्यवहारिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य वाद/प्रकरण अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किये जाने हेतु लिये जायेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली/उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हाकित किये गये वादों की संख्या प्रेषित किया जाना है अतः आपसे अनुरोध है कि **दिनांक 09.12.2023** को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जा सकने वाले वादों को अधिकाधिक संख्या में चिन्हाकित कर, चिन्हांकित वादों की संख्या पिछले पृष्ठ पर दिये गये प्रारूप पर दिनांक 12.10.2023 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

साथ ही साथ सदस्य सचिव उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि के पूर्व चिन्हित वादों को शॉर्ट लिस्ट करके उन्हे अन्तिम निस्तारण हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है अतः उक्तानुसार तैयार किये गये चिन्हित वादों को निरन्तर नालसा पोर्टल पर अपलोड करवाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि दिनांक-09.12.2023 की राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जाना सम्भव हो सकें अतएव आप सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण से अनुरोध है कि दिनांक-09.12.2023 की राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु तैयार किये गये चिन्हित वादों को नालसा पोर्टल पर भी अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी को आदेशित कर अपने-अपने न्यायालय से उक्तानुसार चिन्हित वादों को नालसा पोर्टल पर भी अपलोड कराकर अनुपालन आख्या भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांकः-05.10.2023

भवदीय,

(शिवा नन्द)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नामित सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

जनपद नयायालय, कानपुर देहात।

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. माननीय सदस्य सचिव उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को महोदय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सादर सूचनार्थ एवं दिशा-निर्देश (यदि कोई हो तो) हेतु प्रेषित है।
2. माननीय जनपद न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात महोदय को सादर सूचनार्थ एवं अपने अपने अधीनस्थ न्यायालयों से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निवेदन के साथ सादर प्रेषित।
3. माननीय नोडल अधिकारी- राष्ट्रीय लोक अदालत एवं नोडल अधिकारी कम्प्यूटर कानपुर देहात को सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नामित सचिव,